परिसंपत्ति का ऑनलाइन ई–नीलामी विक्रय

कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : 27 बीकेसी, सी–27, जी–ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (ई), मुंबई, महाराष्ट्र पिन कोड–400 051,
शाखा कार्यालय: 7वां तल, प्लॉट नंबर 7, सेक्टर–125, नोएडा, उत्तर प्रदेश–201313

अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 9(1) के परंतुक के साथ पठित नियम 8(6) के तहत वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत अचल परिसंपत्तियों की बिक्री के लिए ई–नीलामी बिक्री सूचना।

एतद्वारा जनसाधारण को और विशेष रूप में उधारकर्ता(ओं) और गारंटर(रों) को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत ऋणदाता के पास बंधककृत/प्रभारित रखी गई निम्न विवरणित अचल संपत्ति, जिसका अधिग्रहण कोटक महिंद्रा बैंक लि. (केएमबीएल) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा एसेल फाइनेंस बिजनेस लोन लिमिटेड (ईएफबीएलएल) द्वारा अपने पक्ष में ऋण के एसाइनमेंट के अनुसार, 21–06–2023 को, कर लिया गया है, उसे अब 18–10–2023 को दोपहर 12:00 बजे से अपराह्न 1:00 बजे के बीच 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ ''जैसी है जहां है'', ''जैसी है जो है'' और ''यहां जो कुछ भी है'' आधार पर बेचा जाएगा। यह विक्रय जो होगा वह श्री योगेंद्र पाल एवं श्रीमती मधु की ओर से केएमबीएल, प्रतिभूत ऋणदाता को देय–भुगतेय, ऋण खाता संख्या LNDEL00616-170000567 के तहत दिनांक 21–09–2023 के अनुसार रु. 18,49,809/– (रुपये अट्ठारह लाख उनचास हजार आठ सौ नौ मात्र) की एक राशि और इस राशि पर पूर्ण भुगतान होने तक 22–09–2023 से लागू भावी ब्याज तथा लागत एवं शुल्कों की वसूली करने के लिये किया जाएगा। आरक्षित मूल्य रु. 15,00,000/– (रुपये पंद्रह लाख मात्र) होगा और धरोहर राशि जमा रु. 1,50,000/– (रुपये एक लाख पचास हजार मात्र) होगी तथा केवाईसी के साथ ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि 17–10–2023 को सायं 6:00 बजे (आईएसटी) तक होगी।

संपत्ति विवरण :– संपत्ति सं. 1 : संपत्ति के समस्त वह भाग तथा अंश जो खसरा सं. 765 पर, अधिमापन 127.20 वर्ग गज अर्थात 106.35 वर्ग मीटर, जो ग्राम–बिसरख जलालपुर, परगना एवं तहसील–दादरी, जनपद–गौतम बुद्ध नगर में स्थित तथा निम्नानुसार परिसीमित है :– पूर्व– 12 फुट चौड़ी सड़क कच्ची, पश्चिम– अजय सिंह का भूखंड, उत्तर– विक्रेता का भूखंड, दक्षिण– मामचंद एवं किशन लाल का भूखंड।

उधारकर्ता का ध्यान प्रतिभूत परिसंपत्ति को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, सरफॉएसि अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा 8 के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

जनसाधारण और विशेष रूप से उधारकर्तागण कृपया सूचना प्राप्त करें कि यदि यहां इसमें अनुसूचित नीलामी किसी भी कारण से विफल हो जाती है तो प्रतिभूत लेनदार अपने विवेकानुसार निजी संधि के माध्यम से बिक्री करके प्रतिभूति हित प्रवर्तित कर सकते हैं।

बिक्री के तहत रखी गई परिसंपत्तियों के संबंध में किसी भी स्पष्टीकरण/आवश्यकता की स्थिति में, बोलीदाता श्री अखिल सोलंकी को (91 7302111608), श्री राहुल राजन को (91 8745077693), श्री सोमेश सुंदियाल (91 9910563402) और श्री राजेंद्र दहिया (91 8448264515) से संपर्क कर सकते हैं।

बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए कृपया कोटक महिंद्रा बैंक की वेबसाइट अर्थात www.kotak.com तथा/अथवा https://bankauctions.in/ पर उपलब्ध लिंक https://www.kotak.com/en/ bank-auctions.html देखें।

स्थान : गौतम बुद्ध नगर
दिनांक : 22–09–2023

प्राधिकृत अधिकारी
कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड

भारतीय स्टेट बैंक

आरएसीपीसी सह – एसएआरसी
एससीओ–98, पहली और दूसरी मंजिल, सेक्टर–16 मार्केट,
फरीदाबाद, हरियाणा–121002

कब्जा–सूचना

(सरफेसी अधिनियम 2022 के नियम 8(1) के तहत) अचल संपत्ति हेतु

जबकि, अधोहस्ताक्षरी, वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2022 के तहत अधिकृत अधिकारी होने के नाते और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए दिनांक 19.06.2023 को मांग नोटिस जारी किया जिसमें ऋणियों श्रीमती सोनिया मेहता पत्नी श्री गुलशन मेहता, मकान नंबर 5डी/75,फ्रंट साइड, पहली मंजिल,एनआईटी, फ़रीदाबाद–121005 और निम्नलिखित उधारकर्ता/सह–उधारकर्ता/सह आवेदक/गारंटरों : 1. श्रीमती सोनिया मेहता श्री गुलशन मेहता पत्नी, वास्ते एसएसआई प्लॉट नंबर 2 कार्यालय संख्या 4, पहली मंजिल, नेहरू ग्राउंड, एनआईटी फरीदाबाद– 121001, 2. श्रीमती सोनिया मेहता पत्नी श्री गुलशन मेहता, फ्लैट नंबर 1501, टावर ए2, 14वीं मंजिल, सेक्टर–78, अफोर्डेबल हाउसिंग हैबिटेट, फरीदाबाद–121004, 3. श्रीमती सोनिया मेहता पत्नी श्री गुलशन मेहता, वास्ते प्रिंट सॉल्यूशंस, 5डी–75, फ्रंट साइड, पहली मंजिल, एनआईटी, फ़रीदाबाद–121005, (इसके बाद उधारकर्ता और गारंटर को सामूहिक रूप से ”उधारकर्ता” के रूप में जाना जाता है) से नोटिस में उल्लिखित राशि रु. 21,13,071/– (इक्कीस लाख तेरह हजार इकहत्तर रूपये मात्र) + 19.06.2023 से अनुबंध दर पर भविष्य ब्याज का भुगतान उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर करने को कहा गया है।

ऋणियों ने खाता संख्या 37822618237 और 41257537956 और 37825985157 के तहत राशि को चुकाने में विफल रहे हैं, ऋणियों और आम जनता को एतद्द्वारा नोटिस दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के तहत उसे प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति पर 20 सितम्बर , 2023 को कब्जा ले लिया है।

विशेष रूप से ऋणी/ गारंटर और आम जनता को एतद्द्वारा आगाह किया जाता है उक्त संपत्तियों के साथ सौदा न करें और संपत्ति के साथ किसी भी तरह का लेन–देन रु. 21,13,071/– (इक्कीस लाख तेरह हजार इकहत्तर रूपये मात्र) + 19.06.2023 से अनुबंध दर पर भविष्य ब्याज साथ में आकस्मिक खर्च, लागत, शुल्क आदि भारतीय स्टेट बैंक के प्रभार के अधीन होगा।

प्रतिभूति संपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13(8) के प्रावधानों के तहत ऋणकर्ताओं का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

फ्लैट नं. ए2 1501, टॉवर–ए2, 14वीं मंजिल, किफायती आवासीय आवास 78, सेक्टर–78, फ़रीदाबाद स्थित सम्पत्ति के संपत्ति के सभी हिस्से और अंश।

दिनांक: 22.09.2023
स्थानः फरीदाबाद

प्राधिकृत अधिकारी,
(भारतीय स्टेट बैंक), आरएसीपीसी सह–एसएआरसी

उम्मीद हाउसिंग फाइनेंस प्रा.लि.

पंजीकृत और कॉर्पोरेट कार्यालयः यूनिट 809–815, 8वीं मंजिल, टॉवर–ए,
ईएमएआर डिजिटल ग्रीन्स, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, सेक्टर–61,
गुरुग्राम (हरियाणा) –122002 सीआईएनः U65922HR2016PTC057984.

परिशिष्ट IV [नियम–8(1) देखें] कब्जा सूचना

जैसा कि, अधोहस्ताक्षरी वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के तहत उम्मीद हाउसिंग फाइनेंस प्रा.लि. (यूएचएफपीएल) का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम (3) के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में नीचे वर्णित कर्जदार को कथित सूचना में उल्लिखित राशि का कथित सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर पुनर्भुगतान करने को कहते हुए माँग सूचना जारी की थी।

कथित कर्जदार/सह–कर्जदार/जमानती/बंधककर्ता के राशि के पुनर्भुगतान में असफल रहने के कारण एतद्वारा कर्जदार/सह–कर्जदार/जमानती/बंधककर्ता तथा जनसामान्य को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने कथित नियमों के नियम 8 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के तहत इसे प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में नीचे वर्णित सम्पत्ति का भौतिक कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से कर्जदार/सह–कर्जदार/जमानती/बंधककर्ता तथा जनसामान्य को अतद्वारा सम्पत्ति के साथ कोई लेन–देन न करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्ति के साथ लेन–देन ब्याज सहित यहाँ निर्दिष्ट निम्नलिखित राशि हेतु उम्मीद हाउसिंग फाइनेंस प्रा.लि. के प्रभार का विषय होगा।

प्रतिभूत आस्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय–सीमा के परिप्रेक्ष्य में कर्जदारों का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

कर्जदारों, सह–कर्जदारों तथा जमानतियों, प्रतिभूतियों, बकाया देयताओं, धारा 13(2) के तहत प्रेषित मांग सूचना तथा उसके तहत दावाकृत राशि एवं कब्जे की तिथि का विवरण नीचे दिया गया है :

कर्जदारों, सह–कर्जदारों तथा जमानतियों का नाम तथा पता, ऋण खाता सं. एवं ऋण राशि	प्रतिभूत आस्ति का विवरण	मांग सूचना की तिथि	देय राशि रु. में
(1) अरमान पुत्र महबूब (कर्जदार) (2) अमरीन पत्नी अरमान (सह–कर्जदार/ गारंटर) (3) मो. गुलफाम पुत्र मो. महबूब (सह–कर्जदार/गारंटर) (4) महबूब पुत्र नूर खान (सह–कर्जदार/गारंटर) (5) इरफान पुत्र मो. महबूब (सह–कर्जदार/गारंटर उपरोक्त सभी निवासीः ख.नं. 520, सिद्धबाबा मन्दिर, रामपार्क एक्सटेंशन प्रगति विहार इलाइचीपुर, गाजियाबाद.यू.पी.201102 इसके अलावा पताः 1224, मुस्तफाबाद, लोनी देहात, गाजियाबाद, यू.पी. 201102 लैन नं. LXJNP02919–200006630 एवं LXJNP03420–210011004 ऋण अनुबंध दिनांक : 26–नवंबर–2019 और 20–मार्च–2021 ऋण राशिः रु. 13,50,000/– और रु. 2,60,000	आवासीय भूखंड संख्या जी–2954, क्षेत्रफल 100 वर्ग गज यानी 83.61 वर्ग मीटर वाली संपत्ति का समस्त भाग, खसरा नंबर 195 मिन में शामिल, आवासीय कॉलोनी जी–ब्लॉक रामपार्क एक्सटेंशन, ग्राम हकीकतपुर उर्फ खुदाबास, परगना और तहसील लोनी, जिला गाजियाबाद उ.प्र. 201102 में स्थित, सीमाएंः– पूर्वः गली 10 फीट पश्चिम सड़क 20 फीट उत्तरः प्लॉट नंबर जी–2953 (राकेश कुमार) दक्षिणः प्लॉट नंबर जी–2955 (सावत्री देवी)	06–जुलाई–2021 सांकेतिक कब्जा तिथि 18–सितम्बर–2023	रु. 14,16,827.12/– (रुपये चौदह लाख सोलह हजार आठ सौ सत्ताईस एवं बारह पैसे मात्र) तथा दिनांक 07 जुलाई, 2023 से भावी ब्याज

स्थान : गुरुग्राम, हरियाणा
तिथि : 22.09.2023

अधिकृत प्राधिकारी गौरव त्रिपाठी 9650055701
उम्मीद हाउसिंग फाइनेंस प्रा.लि.

प्रपत्र ए

सार्वजनिक घोषणा

[भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 6 के अधीन]

सैमटेल ग्लास लिमिटेड के लेनदारों के ध्यानार्थ

संबंधित विवरण

1.	कार्पोरेट देनदार का नाम	सैमटेल ग्लास लिमिटेड
2.	कार्पोरेट देनदार के निगमन की तिथि	24 जुलाई, 1986
3.	प्राधिकरण जिसके अधीन कार्पोरेट देनदार निगमित/पंजीकृत है	रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज, जयपुर
4.	कार्पोरेट देनदार की कार्पोरेट पहचान संख्या/सीमित दायित्व पहचान संख्या	U26101RJ1986PLC008852
5.	कार्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई) का पता	**पंजीकृत पताः** ग्राम नया नोहरा, तहसील लाडपुरा, जिला– कोटा, राजस्थान – 324001
6.	कार्पोरेट देनदार के संबंध में ऋण शोध अक्षमता आरंभन तिथि	**19 सितंबर, 2023** (आदेश एनसीएलटी की वेबसाइट से 20 सितंबर 2023 को प्राप्त हुआ)
7.	ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया के समापन की पूर्वानुमानित तिथि	**17 मार्च, 2024** (दिवाला प्रक्रिया शुरू होने की तारीख से 180वां दिन यानी 19 सितंबर, 2023)
8.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल के रूप में कार्यरत ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल का नाम और रजिस्ट्रेशन नम्बर	**जय प्रकाश रावत** **पंजी. सं.:**IBBI/IPA-001/IP-P-01969/2020-2021/13039 **एएफए 20 अप्रैल 2024 तक वैध है**
9.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल का पता और ई–मेल, जैसा कि बोर्ड में पंजीबद्ध है	22–बी, न्यू कॉलोनी, चांदनी चौक, झोटवाड़ा, जयपुर – 302012 (राजस्थान) **ईमेल :** ipjprawat@gmail.com
10.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल का, पत्राचार हेतु प्रयुक्त, पता और ई–मेल	22–बी, न्यू कॉलोनी, चांदनी चौक, झोटवाड़ा, जयपुर – 302012 (राजस्थान) **ईमेल :** ibcsamtelglass@gmail.com
11.	दावा प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि	**04 अक्टूबर, 2023** (आदेश प्राप्त होने की तारीख से 14वां दिन यानी 20 सितंबर, 2023)
12.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल द्वारा धारा 21 की 4 उप–धारा (6क) के क्लॉज (ख) के तहत अभिनिश्चित लेनदारों की श्रेणियां, यदि कोई	इस स्तर पर लेनदारों का कोई वर्ग निर्धारित नहीं किया जा सका
13.	किसी श्रेणी में लेनदारों के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने हेतु चिह्नित ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल के नाम (प्रत्येक श्रेणी के लिए तीन नाम)	लागू नहीं
14.	(क) संबंधित प्रपत्र और (ख) अधिकृत प्रतिनिधियों का विवरण यहां उपलब्ध है:	(क) वेब लिंक: https://ibbi.gov.in/home/downloads (ख) भौतिक पता: लागू नहीं

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, जयपुर पीठ ने दिनांक **19 सितंबर, 2023** (आदेश एनसीएलटी की वैबसाइट से 20 सितंबर 2023 को प्राप्त हुआ) को **सैमटेल ग्लास लिमिटेड** के विरुद्ध कार्पोरेट ऋण शोध अक्षमता प्रक्रिया आरंभ करने का आदेश दिया है।

सैमटेल ग्लास लिमिटेड के लेनदारों से एतद्द्वारा अपने दावों का प्रमाण **04 अक्टूबर 2023** को अथवा पूर्व अंतरिम समाधान प्रोफेशनल के समक्ष ऊपर आइटम 10 के समक्ष वर्णित पते पर प्रस्तुत करने की मांग की जाती है।

वित्तीय लेनदारों को अपने दावों का प्रमाण केवल इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा प्रस्तुत करना होगा। अन्य सभी लेनदार अपने दावों का प्रमाण व्यक्तिगत रूप से, डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक साधनों प्रस्तुत कर सकते हैं।

दावे के फर्जी अथवा भ्रामक प्रमाण की प्रस्तुति दंडनीय होगी।

हस्ता/–
जय प्रकाश रावत

दिनांक : 22.09.2023
स्थान : जयपुर

अंतरिम समाधान प्रोफेशनल, सैमटेल ग्लास लिमिटेड के मामले में
पंजीकरण सं.: IBBI/IPA-001/IP-P-01969/2020-2021/13039
एएफए प्रमाणपत्र सं.: AA1/13039/02/200424/105661 **एएफए 16 फरवरी 2024 तक वैध है**

भारतीय स्टेट बैंक
एसए एम शाखा, सेक्टर 8सी, चंडीगढ़

शुद्धिपत्र

मेसर्स सोनीरा जेम्स एंड ज्वेल्स के खाते के लिए दिनांक 14.09.2023 को प्रकाशित हमारी ई नीलामी बिक्री सूचना देखें। अब इन खातों में ई नीलामी की तारीख 29.09.2023 के बजाय 30.09.2023 पढ़ें।

प्राधिकृत अधिकारी

फॉर्म 3ए

विस्तृत याचिका विज्ञापन
(एनसीएलटी नियमों, 2016 के
नियम 35 के अनुवर्ती)
नेशनल कम्पनी लॉ ट्रिब्यूनल,
चंडीगढ़ बेंच के समक्ष
सीए(सीएए)–28/चंडीगढ़/2023 से संबंधित
सीपी(सीएए)–28/चंडी/हरि/2023
ग्लेन एप्लायंसेज प्राइवेट लिमिटेड
(आवेदक कंपनी 1/डीमर्ज्ड कंपनी)
और
व्हाइटबर्च वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड
(आवेदक कंपनी 2/रिजल्टिंग कंपनी)
प्रबंधन की योजना के विषय में

याचिका की सुनवाईं की सूचना

नोट करें कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 230–232 के अधीन ग्लेन एप्लायंसेज प्राइवेट लिमिटेड (आवेदक कंपनी 1/डीमर्ज्ड कंपनी) और व्हाइटबर्च वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड (आवेदक कंपनी 2/रिजल्टिंग कंपनी) और उनके संबंधित शेयरधारको तथा लेनदारों द्वारा प्रबंधन की योजना की मंजूरी प्राप्त करने के लिए प्रस्तुति दी थी और नेशनल कम्पनी लॉ ट्रिब्यूनल, चंडीगढ़ बेंच (माननीय ट्रिब्यूनल) के समक्ष दाखिल की थी। कथित याचिका नेशनल कम्पनी लॉ ट्रिब्यूनल, चंडीगढ़ बेंच के समक्ष 02 नवंबर, 2023 को सुनवाईं के लिए निश्चित हुई है।

उक्त याचिका का समर्थन या विरोध करने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति को प्रैक्टिस में याचिकाकर्ता कंपनी के सचिव को उसके आशय की सूचना, उसके या उसके अधिवक्ता द्वारा हस्ताक्षरित, उसके नाम और पते के साथ याचिकाकर्ता कंपनी के सचिव को नीचे वर्णित पते पर याचिका की सुनवाई के लिए तय तारीख से दो दिन पहले भेजना चाहिए। जहां आप कथित याचिका का विरोध करना चाहते है, निषेध के कारणों या शपथपत्र की प्रति को ऐसे नोटिस के साथ प्रस्तुत करना चाहिए। याचिका की प्रति अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रति के इच्छुक किसी व्यक्ति को उसके के लिए निर्धारित प्रभारों की अदायगी पर प्रस्तुत की जाएगी।

दिनांकः
कार्यालयः कोएफिशिएंट पार्टनर्स दूसरी मंजिल, मंटेक टॉवर, सी 56/5 सेक्टर 62, नोएडा – 201309
ईमेल आईडीः cs.adityapandey@hotmail.com

आदित्य कुमार पांडे,
कंपनी सचिव

दाइची फास्टनर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

सीआईएनः U35990HR2011FTC043115
पताः एनएम –4 और 5, ओल्ड डीएलएफ कॉलोनी, सैक्टर –14 के पास गुड़गांव, हरियाणा, 122001
फोन न.: 9560299011 | ईमेल : lt@daiichi.co.in

चुकता इक्विटी शेयर पूंजी में कमी की सूचना

(सीपी नंबर 14/सीएचडी/एचआरबाई/2021, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 66 के तहत)

माननीय राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी), चंडीगढ़ पीठ ने 24 अगस्त 2023 के अपने आदेश के तहत नीचे दिए गए कार्यवृत्त को मंजूरी देकर कंपनी की "शेयर पूंजी में कटौती" को मंजूरी दे दी है:

दाइची फास्टनर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की चुकता पूंजी अभी 44,92,97,900 रुपये है, जिसे 100 रुपये के अंकित मूल्य के 44,92,979 इक्विटी शेयरों में विभाजित किया गया है। इस मिनट (पूंजी में कटौती से पहले) पंजीकरण की तारीख तक विशिष्ट संख्या 1 से 14493482 के तहत 100 रुपये के 144,93,482 इक्विटी शेयर जारी किए गए हैं और उन्हें पूरी तरह से भुगतान किया गया माना जाता है।

यह विज्ञापन एनसीएलटी के 24 अगस्त 2023 के आदेश में दिए गए निर्देशों के अनुसार प्रकाशित किया गया है।

दिनांक : 21.09.2023
स्थान : गुड़गांव

(निदेशक)

COURT NOTICE

(complaint -138 negotiable instrument act)
In The Court Of Ms. Lovepreet Kaur Swaich Judicial Magistrate 1st Class, Ludhiana

Kotak Mahindra Bank
Vs
Manoj Kumar

CNR NO: PBLD03-022370- 2020
COMA/ 5544/2020

Notice To: 1. Manoj Kumar R/o Not Know R/o A-37 Gali No 1, Ganga Enclave Loni Near Satyam Takies Ghaziabad- 201102 Uttar Pradesh India

In above titled case, the defendant (s)/ respondent(s) could not be served. It is ordered that defendant (s)/ respondent(s) should appear in person or through counsel on 21-10-2023 at 10:00 a.m. for details logon to: https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_notice&district=ludhiana

JMIC Ludhiana

Criminal Courts, Ludhiana

In The Court Of Ms. Shweta Dass JMIC, Ludhiana

Peshi: 09-10-2023
CNR NO: PBLD03-006323-2020

publication notice for proclamation under section 82 CR complaint R/w sec -138 of N.I ACT

M/s Satya Knits Vs
M/s Basic Collection

Notice To: 1. M/s Basic Collection Building No 13, New Vidharbh Sra Chs Ltd Near Shiv Shakti Building Golibar Road, Santacruz(e) Mumbai Through Its Sole Proprietor Nazimuddin Shaikh 2. Nazimuddin Shaikh sole proprietor of m/s basic collection, building no 13 new vidharha sra chs ltd near shiv shakti building golibar road, santacruz mumbai Whereas it has been proved to the satisfaction of this court that the accused above named cannot be served in the ordinary way of service. Hence this proclamation under section 82 CRPC is hereby issued against you with a direction that you should appear personally before this court on 09-10-2023 at 10:00 a.m. or within 30 days from the date of publication of this proclamation take notice that, in default of your part to appear as directed above, the above said case will be heard and determined as per law, in your absence, given under my hand and the seal of the court. for details login to: https://highcourtchd.gov.in/?trs= district_notice&district=ludhiana

JMIC Ludhiana

अभियुक्त व्यक्ति की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उद्‌घोषणा

धारा 82 Cr. P. C. देखिए

मेरे समक्ष परिवाद किया गया है कि अभियुक्त **श्रीमती संतोष विधवा स्वर्गीय राम कुमार** निवासी A-/206 ब्लॉक-A पॉकेट T-3, रोहिणी दिल्ली। ने **Misc Crl No. 6/2016 U/s 340 Crpc.,** के अंतर्गत थानाः **कश्मीरी गेट,** दिल्ली के अधीन दण्डनीय अपराध किया है (या संदेह है कि उसने किया है) और उस पर जारी किए गए गिरफ्तारी वारंट को यह लिख कर लौटा दिया गया है कि उक्त **श्रीमती संतोष** मिल नही रही है और मुझे समाधानप्रद रूप में दर्शित कर दिया गया है कि उक्त **श्रीमती संतोष** फरार हो गई है (या उक्त वारण्ट की तामील से बचने के लिए अपने आपको छिपा रही है)

इसलिए इसके द्वारा उद्‌घोषणा की जाती है कि **Misc Crl No. 6/2016 U/s 340 Crpc.,** थानाः **कश्मीरी गेट,** दिल्ली के उक्त अभियुक्त **श्रीमती संतोष** से अपेक्षा की जाती है कि वह इस न्यायालय के समक्ष (या मेरे समक्ष) उक्त परिवाद का उत्तर देने के लिए दिनांक **25.11.2023** को या इससे पहले हाजिर हो।

आदेशानुसार
अरजिंदर कौर, MM
सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट रुम नंबर 247
तीस हजारी कोर्ट, दिल्ली

DP/9995/N/2023

प्रकाशन

कंपनी याचिका (आईबी) संख्या 97/2023
मैसर्स कालीबर एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड
बनाम
एलाइड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड
(सीआईएनः U45201DL2005PTC13579 पंजीकृत कार्यालय मकान नंबर 24, हरिजन बस्ती गदाईपुर दिल्ली, डीएल 110030)

ध्यान दें कि मैसर्स अलाइड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने की मांग करने वाली Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 की धारा 7 के तहत एक याचिका मैसर्स कालीबर एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 22.08.2023 को माननीय राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण, प्रधान पीठ के समक्ष प्रस्तुत की गई थी, और उक्त याचिका अब माननीय राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण के समक्ष सुनवाई के लिए निर्धारित की गई है। 04.10.2023 को प्रधान पीठ। उक्त याचिका में नोटिस 17.02.2023 को मैसर्स एलाइड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड को जारी करने का निर्देश दिया गया था। याचिका की एक प्रति अधोहस्ताक्षरी द्वारा किसी भी व्यक्ति को प्रस्तुत की जाएगी जिसे इसकी आवश्यकता होगी। उक्त याचिका का विरोध करने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति को इसे याचिकाकर्ता को भेजना चाहिए, विरोध के आधार वाले जवाब या उसके हलफनामे की विरोध के आधार वाले जवाब या उसके हलफनामे की एक प्रति।

हस्ता/–
श्री मोहन लाल जैन
परिसमापक, मैसर्स कालीबर एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड
पंजीकरण सं.: IBBI/IPA-002/IP-N00006/2016-17/10006
एएफए की वैधता 06 जून, 2023 तक
पताः एफ–2/28, सैक्टर– 15, रोहिणी, नई दिल्ली –110089
ईमेलः cirp.kaliberapl@gmail.com/ ml_jain@sumedhamanagement.com
कार्यालय का पताः सुमेधा मैनेजमेंट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड बी –1/12, दूसरी मंजिल, सफदरजंग एन्क्लेव, नई दिल्ली– 110029
दिनांकः 22 सितंबर 2023
फोनः +91 11 41654481/85

डीएमआई हाउसिंग फाईनेंस प्राईवेट लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः एक्सप्रेस बिल्डिंग, तृतीय तल, 9-10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002,
फोनः +91 11 41204444 F: +91 11 41204000 dmi@dmihousingfinance.in U65923DL2011PTC216373

[नियम 8(1) देखें] कब्जे की सूचना [अचल सम्पत्तियों हेतु]

जबकि प्राधिकृत अधिकारी ने डीएमआई हाउसिंग फाईनेंस प्राईवेट लिमिटेड की ओर से वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 (12) सपठित नियम 3 का प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 (2002 का 54) के तहत दिए गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित दिनांक को एक माँग नोटिस जारी करके नीचे वर्णित ऋणयों/सह-ऋणियों को नोटिस में वर्णित राशि उक्त नोटिस के मिलने की तारीख से 60 दिनों के भीतर अदा करने के लिए कहा गया था।

ऋणियों/सह-ऋणियों/बंधककर्ताओं/जमानतदारों द्वारा उक्त राशि की अदायगी न करने के कारण ऋणियों/सह-ऋणियों/बंधककर्ताओं/जमानतदारों और जनसाधारण को यह सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित संपत्ति का कब्जा नीचे वर्णित दिनांक को प्राप्त कर लिया है। ऋणियों को विशेष रूप से एवं जन साधारण को सामान्य रूप से इस नोटिस के द्वारा चेतावनी दी जाती है कि वे निम्नलिखित संपत्तियों से सम्बन्धित कोई संव्यवहार न करें। निम्नलिखित संपत्तियों का कोई भी संव्यवहार डीएमआई हाउसिंग फाईनेंस प्राईवेट लिमिटेड के निम्न वर्णित रूपयों + अनुबंध की दर से आगे का ब्याज पूर्ण भुगतान होने तक एवं खर्चों के अध्यधीन होगा।

क्र. सं.	ऋणियों/सह-ऋणीयों के नाम	अचल सम्पत्तियों का विवरण	मांग सूचना दिनांक कब्जे की दिनांक	बकाया राशि
1.	ऋणी- सुरेश कुमार पुत्र बोदन सिंह और सुभ लता पत्नी बोदन राम (सह-ऋणी)	सम्पत्ति के सभी अंश व अंग गठित होते है जो मकान नंबर 214, पश्चिमी की तरफ, लाल डोरा गांव, भुरथल जाट, तहसील और जिला रेवाड़ी हरियाणा 122502 में स्थित है।	29.05.2023 16-09-2023	रूपये 12,25,095/- (रूपये बारह लाख पच्चीस हजार पिच्यानवे मात्र) दिनांक 19 मई, 2023 तक
2.	ऋणी- त्रिलोक कुमार पुत्र देवी राम और प्रमिला पत्नी त्रिलोक कुमार (सह-ऋणी)	सम्पत्ति के सभी अंश व अंग गठित होते है मकान नंबर 160, लाल डोरा, गांव खखाना, तहसील और जिला झज्जर, हरियाणा 124103 में स्थित है।	14.06.2023 16-09-2023	रूपये 5,59,031/- (रूपये पाँच लाख उनसठ हजार इकतीस मात्र) दिनांक 05 जून, 2023 तक
3.	ऋणी- रोहतास पुत्र पाले राम (मृतक) जरिये कानूनी प्रतिनिधि/ कानूनी वारिस, संतोष पत्नी स्व. रोहतास और शमशेर पुत्र स्व. रोहतास (सह-ऋणी एवं मृतक ऋणी का कानूनी वारिस)	सम्पत्ति के सभी अंश व अंग गठित होते है जिसमें प्लॉट नं. 123 क्षेत्रफल 200 वर्गगज जो खेवट नं. 2597, खसरा नं. 294/1 (0-19), 295/1 (0-13), किते 2, क्षेत्रफल 1 बीघा, 12 बिस्वा पुख्ता 200/4820 हिस्सा 1 बिस्वा 6 बिस्वासनी पुख्ता (200 वर्गगज के बराबर) जो मौजा रोहतक, तहसील व जिला रोहतक, सुर्या नगर रोहतक, हरियाणा 124001 में स्थित है।	29.05.2023 18-09-2023	रूपये 11,88,984/- (रूपये ग्यारह लाख अट्ठासी हजार नौ सौ चोरासी मात्र) दिनांक 19 मई, 2023 तक

ऋणियों/सह-ऋणियों/बंधककर्ताओं/जमानतदारों का ध्यान प्रतिभूत आस्तियों के मोचन के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप धारा (8) के उपबंधों की ओर, आकृष्ट किया जाता है।

दिनांकः 21.09.2023
स्थानः हरियाणा

हस्ताक्षर/- (प्राधिकृत अधिकारी)
डीएमआई हाउसिंग फाईनेंस प्राईवेट लिमिटेड

पीएसएल लिमिटेड परिसमापन के अंतर्गत

विक्रय सूचना
परिसमापक : श्री नितिन जैन
ईमेल :– assetsale1@aaainsolvency.in, assetsale2@aaainsolvency.in, psl.limited@aaainsolvency.com, nitinjain@ichinencapitalservices.com
मोबा.– 8800865284 (श्री पुनीत सचदेवा, श्री वसीम एवं श्री राजकुमार)

ई–नीलामी
ऋणशोधनाक्षमता एवं दिवालिया संहिता 2016 के अंतर्गत परिसंपत्तियों का विक्रय
ई–नीलामी की तिथि एवं समय : 25 अक्टूबर 2023 को अपराह्न 3.00 से सायं 5.00 बजे तक
ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि : 23 अक्टूबर 2023 को अपराह्न 2.00 बजे तक
पात्रता प्रलेख जमा करने की तिथियां – संभावित बोलीदाता द्वारा :
21 सितंबर 2023 से 04 अक्टूबर 2023 तक
(5 मिनट प्रत्येक के असीमित विस्तार के साथ)

पीएसएल लिमिटेड (परिसमापन के अंतर्गत) के स्वामित्वधारण वाली परिसंपत्तियों का विक्रय जो कि माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधिक न्यायाधिकरण, पीठ, अहमदाबाद द्वारा 11 सितंबर 2020 के आदेश द्वारा नियुक्त परिसमापक द्वारा संगठित परिसमापन संपदा का हिस्सा हैं। विक्रय, अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा ई–नीलामी प्लेटफॉर्म **https://nbid.nesl.co.in/app/login** के माध्यम से किया जायेगा।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिनांक 01–03–2023 के आदेश द्वारा परिसमापक को पीएसएल लिमिटेड की संलग्न परिसंपत्ति (स्क्रैप सहित) को बेचने की अनुमति दी है। आदेश की प्रति, ई–नीलामी प्रलेख का हिस्सा बनेगी।

परिसंपत्ति का विवरण	ब्लॉक	आरक्षित मूल्य (रु. में)	आंशिक ईएमडी राशि (रु. में)	वृद्धिशील मूल्य (रु. में)
नॉन–कोर परिसंपत्तियां / ब्लॉक ए से ब्लॉक डी तक (परिसंपत्ति का विक्रय अंशगत आधार पर किया गया था – आईबीबीआई परिसमापन विनियम 32(ए)				
मुंबई – पीएसएल टॉवर, 615, मकवाना रोड (अंधेरी कुरिया रोड से दूर), स्टार प्लस ऑफिस के पीछे, मरोल, अंधेरी (पूर्व), मुंबई – 400059 (स्वामित्वधारक – भूमि क्षेत्रफल 985.10 वर्ग मीटर – 7 मंजिल)	ए	36.00 करोड़	3.60 करोड़	5.00 लाख
मुंबई – वाणिज्यिक कार्यालय स्थान ए–307, तृतीय तल, वर्धमान चैंबर्स प्रिमाइजेज को–ऑप सोसायटी लिमिटेड, प्लॉट नं. 84, सेक्टर नं. 17, वाशी, नवी मुंबई – 400 705 (2,350 वर्ग फुट – निर्मित क्षेत्र)	बी	2.50 करोड़	25.00 लाख	3.00 लाख
गुजरात (अमरेली/राजुला) आर. सर्वे नंबर 18, 37 व 50 पर अवस्थित भूमि, जो ग्राम रामपाड़ा– ।।, तालुका–राजुला, जनपद–अमरेली, गुजरात – 365560 (अकृषि भूमि – 169.00 एकड़)	सी	50.00 करोड़	5.00 करोड़	5.00 लाख
ऑयरन ओर माइन जो ठाकरों की ढाणी (बछड़ी गणेशपुरा), तहसील–शाहपुरा, जिला–जयपुर–303103 में अतिथि गृह के साथ अधिमापन 192 वर्ग गज, जो ग्राम पंचायत समिति, ग्राम टटेरा, सीकर राजस्थान में स्थित है।	डी	2.50 करोड़	25 लाख	1.00 लाख

महत्वपूर्ण टिप्पणियां :

1. परिसंपत्तियों के आरक्षित मूल्य को बहुमत मतदान के साथ विधिवत ढंग से अनुमोदित किया गया था तथा 20 जून 2023 को आयोजित 26वीं एससीसी बैठक में हितधारक परामर्शन समिति द्वारा अंगीकृत किया गया था तथा 21 अगस्त, 2023 को आयोजित 29वीं एससीसी बैठक में बहुमत से पुनः अनुमोदित किया गया था।
2. ब्लॉक ए से ब्लॉक डी का हिस्सा बननेवाली परिसंपत्तियों अर्थात् 'नॉन–कोर परिसंपत्तियों' को ऋणशोधनाक्षमता एवं दिवालिया बोर्ड 2016 तथा आईबीबीआई (परिसमापन प्रक्रिया) विनियमावली 2016 के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार एक अंशगत आधार पर बेचा जाएगा।
3. यह विक्रय सूचना, ऋणशोधनाक्षमता एवं दिवालिया संहिता 2016 के अनुसार तथा माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 01–03–2023 में दिए गए निर्देशों के अनुरूप है। कृपया आदेश दिनांक 01–03–2023, ई–नीलामी प्रलेख, सूचना ज्ञापन एवं इस नीलामी के लिये बनाए गए डेटा रूम/वीडीआर में अपलोड किए गए सभी अन्य सभी प्रलेख पढ़ें।
4. किसी भी लंबित विधिक प्रकरण / चलायमान वादों / प्राकट्यों वाले ब्लॉक ए से ब्लॉक डी का हिस्सा बनने वाली संपत्तियों का विवरण, ई–नीलामी प्रक्रिया प्रलेख में प्रकट किया गया है और इस नीलामी में भाग लेने से पहले उन्हें अनिवार्यतः देखा जाना चाहिए।
5. पीएसएल लिमिटेड के हितधारक के परामर्शन से परिसमापक के पास परिसंपत्ति के संबंधित ब्लॉक के लिए एच1 बोलीदाता की नीलामी को उस स्थिति में निरस्त करने तथा एच2 बोलीदाता का चयन करने का अधिकार है, यदि यह पाया जाता है कि एच1 बोलीदाता 29ए सत्यापन के अंतर्गत अयोग्य है। अतः, नीलामी के बाद सफल बोली लगाने वाले के नाम की घोषणा तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि संबंधित ब्लॉक्स के विजेताओं के लिए 29ए सत्यापन पूरा नहीं हो जाता। विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये कृपया ईएमडी जमा करने एवं प्रक्रिया में भाग लेने से पूर्व एएए इनसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स एलएलपी की वेबसाइट अर्थात् **https://insolvencyandbankruptcy.in/public-announcement/psl-limited/** एवं उपरोक्त लिंक पर अपलोडेड ई–नीलामी प्रक्रिया प्रलेख देखें।

नितिन जैन
पीएसएल
लिमिटेड प्रकरण में परिसमापक

दिनांक : 21–09–2023
स्थान : नई दिल्ली आईबीबीआई **(पंजी. सं.– आईबीबीआई / आईपीए–001 / आईपी–पी–01562 / 2019–2020 / 12462**
निगमित कार्यालय पता : ई–10ए, कैलाश कॉलोनी, जी.के.– I, नई दिल्ली–110048
परिसमापक का पता : ई–337, भू तल, जी.के.–1, नई दिल्ली – 110048
ईमेल : assetsalel@aaainsolvency.in, assetsale2@aaainsolvency.in, nitinjain@aaainsolvency.com
संपर्क व्यक्ति : श्री पुनीत सचदेवा, श्री वसीम एवं श्री राजकुमार :– 8800865284

केआईएफएस हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : 6ठवां तल, केआईएफएस कॉर्पोरेट हाउस, होटल प्लानेट लैंडमार्क के समीप,
अशोक वाटिका बीआरटीएस के समीप, इस्कॉन – अंबली रोड, बोदकदेव, अंबली, अहमदाबाद, गुजरात – 380054
निगमित कार्यालय : सी–902, लोटस पार्क, ग्राहम फिर्थ कंपाउंड,
पश्चिमी एक्सप्रेस हाइवे, गोरेगांव (पूर्व), मुंबई–400063, महाराष्ट्र, भारत,
दूरभाष सं.: 91 22 61796400, ईमेल : contact@kifshousing.com, **वेबसाइट :** www.kifshousing.com,
सीआईएन : यू65922जीजे2015पीएलसी085079, **आरबीआई सीओआर :** डीओआर–00145

नीलामी सह विक्रय की सार्वजनिक सूचना

केआईएफएस हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (यहां इसमें इसके उपरांत ''अधिनियम'') के अंतर्गत, उधारकर्ता/ओं से देय राशि की वसूली हेतु, यहां नीचे वर्णित प्रतिभूत परिसंपत्ति का अधिग्रहण करने के अनुपालन में, यहां निम्न वर्णितानुसार अचल संपत्ति जो कि भौतिक अधिग्रहण के अंतर्गत है, के क्रयार्थ ''जैसी है जहां है आधार'', ''जैसी है जो है आधार'' तथा ''वहां जो कुछ भी है आधार'' पर मोहरबंद लिफाफा में अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं, जिसके विवरण यहां निम्न तालिका में दिये गये हैं :

उधारकर्ता(ओं)/ सह–उधारकर्ता(ओं) /गारंटर(रों) के नाम	मांग सूचना तिथि एवं बकाया राशि	अचल संपत्ति/प्रतिभूत परिसंपत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य	धरोहर राशि जमा (धराज) (10%)
रेशनमा सियाराम प्रदीप कुमार सौरभ कुमार (लैन : LNHLGHA004061)	17 फरवरी 2023 कुल बकाया 17 फरवरी 2023 के अनुसार रु. 734,080/–	खसरा नंबर 226 क्ला एन्क्लेव ग्राम खोड़ा परगना लोनी इंडिया इंटर कॉलेज गाजियाबाद सेक्टर 56 गाजियाबाद गाजियाबाद उत्तर प्रदेश भारत 201309 पर स्थित मकान। विक्रय विलेख के अनुसार सीमाएं : पूर्व– सड़क 15 फुट, पश्चिम– सड़क 15 फुट, उत्तर– अन्य का घर, दक्षिण– अन्य का घर	रु. 1,310,000/–	रु. 131,000/–

1. ईएमडी और केवाईसी के साथ निर्धारित निविदा प्रपत्रों में सीलबंद बोली/प्रस्ताव जमा करने की अंतिम तिथि 23 अक्टूबर 2023 शाम 5.00 बजे के भीतर है जो कि कॉर्पोरेट कार्यालय के पते : सी–902, लोटस पार्क, ग्राहम फिर्थ कंपाउंड, पश्चिमी एक्सप्रेस हाइवे, गोरेगांव (पूर्व), मुंबई–400063, महाराष्ट्र, भारत या बी–39 चतुर्थ तल, आरडीसी राज नगर, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश 201002 ('शाखा कार्यालय') में जमा करने होंगे। जो निविदाएं भरी नहीं गयी होंगी या अंतिम तिथि के बाद प्राप्त निविदाएं अमान्य निविदा मानी जाएंगी और रद्द कर दी जाएंगी तथा तद्नुसार अस्वीकार कर दी जायंगी, ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।
2. संपत्ति के लिए बोली/प्रस्ताव (नीलामी तिथि) खोलने की तिथि 25 अक्टूबर, 2023 को उपरोक्त कॉर्पोरेट पते पर सुबह 10.00 बजे से शाम 6.00 बजे तक है। निविदा प्राधिकृत अधिकारी की उपस्थिति में खोली जायेगी।
3. एतद्द्वारा उधारकर्ता/ओं एवं गारंटर/रों को बिक्री के समय व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने के लिए नोटिस दिया जाता है और वे ऊपर वर्णित अनुसार अचल संपत्ति खरीदने के लिए इच्छुक खरीदारों/क्रेताओं को बिक्री के नियमों और शर्तों के अनुसार अपने साथ ला सकते हैं।
4. सरफॉएसि अधिनियम, 2002 के तहत 30 दिनों की बिक्री नोटिस सामान्य रूप से जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ता, सह–उधारकर्ता और गारंटर को दिया जाता है कि सुरक्षित ऋणदाता जिनके पास ऊपर वर्णित अचल संपत्ति गिरवी/चार्ज की गई है और जिसका भौतिक कब्जा केआईएफएस हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (''केएचएफएल'') के अधिकृत अधिकारी, सुरक्षित ऋणदाता द्वारा लिया गया है, को ''जैसा है जहां है'', ''जैसा है जो है'' और ''जो कुछ भी है'' आधार पर बेचा जाएगा और बिक्री की तारीख से पहले केआईएफएस हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को देय राशि का पूरा भुगतान करने के लिए, नीलामी रोकी जा सकती है।
5. अचल संपत्ति उच्चतम निविदाकर्ता को बेची जाएगी। हालाँकि, यदि आवश्यक समझा जाए तो प्राधिकृत अधिकारी के पास परस्पर बोली लगाने की अनुमति देने का पूर्ण विवेक सुरक्षित है। उल्लिखित संपत्ति आरक्षित मूल्य से कम पर नहीं बेची जाएगी।
6. केआईएफएस हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ऊपर उल्लिखित संपत्ति पर लंबित किसी भी देनदारी के लिए जिम्मेदार नहीं है। संपत्ति की नीलामी ''जैसा है जहां है के आधार पर'', ''जैसा है जो है के आधार पर'' और ''जो है वहां के आधार पर'' नीलाम की जाएगी।
7. डिमांड ड्राफ्ट केवल ''केआईएफएस हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड'' के पक्ष में बनाया जाना चाहिए।
8. नीलामी बिक्री के विस्तृत नियम और शर्तें निर्धारित निविदा प्रपत्र में शामिल हैं। निविदा प्रपत्र उपर्युक्त कॉर्पोरेट पते पर उपलब्ध हैं। प्राधिकृत अधिकारी के पास निविदा की तिथि बढ़ाने या बोलीदान के नियमों और शर्तों को बदलने का अधिकार सुरक्षित है। अधिक जानकारी और बोली लगाने के अन्य नियमों और शर्तों के लिए कृपया हमारे कॉर्पोरेट कार्यालय से संपर्क करें और **www.kifshousing.com** पर जाएं।

स्थान : गाजियाबाद
दिनांक : 22–09–2023

हस्ता./–
प्राधिकृत अधिकारी

शिवालिक स्माल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : शिवालिक स्माल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, 501, सेल्कन औरम, जसोला डिस्ट्रिक्ट सेंटर, नई दिल्ली, दक्षिण दिल्ली, दिल्ली–110025 एवं शाखा कार्यालय : शिवालिक स्माल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, 201015

अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु नीलामी सह बिक्री की सार्वजनिक सूचना

परिशिष्ट–IV-A [नियम 8(6) का परंतुक देखें]

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल आस्तियों की बिक्री हेतु खुली नीलामी बिक्री सूचना। एतद्वारा सामान्य रूप से जनसामान्य को तथा विशेष रूप से कर्जदार/जमानती को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति, जिस पर शिवालिक स्माल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के अधिकृत प्राधिकारी ने **भौतिक कब्जा** कर लिया है, **1. श्री सुखपाल सिंह पुत्र रिछपाल सिंह राणा (कर्जदार) पुत्र रिछपाल सिंह राणा निवासी मकान नंबर 293, गली नंबर 7, ग्राम सदरपुर कॉलोनी, शिव मंदिर के पास सेक्टर 45, नोएडा, गौतमबुद्धनगर– 20130 उ.प्र. 201301, 2. श्री राहुल राणा (सह–कर्जदार) पुत्र रिछपाल सिंह राणा, निवासी मकान नंबर 293, गली नंबर 7, ग्राम सदरपुर कॉलोनी, शिव मंदिर के पास सेक्टर –45, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर उ.प्र. 201301, 3. परमानंद यादव (गारंटर) पुत्र रामनिवास यादव निवासी ग्राम ऊंचा अमीरपुर, विद्युत नगर, एनटीपीसी और आईटीआई स्कूल के पास, गौतमबुद्धनगर उ.प्र. 201301, 4. प्रभाकर सिंह पुत्र सुरेंद्र सिंह (गारंटर) निवासी मकान नं. 39,40 महीउद्दीनपुर, कनावनी नोएडा, तहसील – दादरी, जिला गौतमबुद्धनगर उ.प्र.201301, 5. कांति देवी (गारंटर/बंधककर्ता) पत्नी सुखपाल सिंह राणा निवासी मकान नंबर 293, गली नंबर 7, गांव सदरपुर कॉलोनी, शिव मंदिर के पास सेक्टर–45, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर–20130 उ.प्र. 201301।** से शिवालिक स्माल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, प्रतिभूत लेनदार के 27.02.2023 तक बकाया **रु. 24,34,000/– (रुपये चौबीस लाख चौंतीस हजार मात्र)** तथा ब्याज एवं उसके पश्चात प्रभार की वसूली हेतु बिक्री **''जहाँ है जैसे है'', ''जो है यही है'' तथा ''जो कुछ भी है वहीं है''** आधार पर **24 अक्टूबर, 2023** को की जायेगी।

आरक्षित मूल्य **रु. 1,50,000/– (रुपये एक लाख पचास हजार मात्र)** तथा जमा धरोहर राशि संविदा राशि का 10% अर्थात **रु. 15,000/– (रुपये पन्द्रह हजार मात्र)** होगी, बाद वाली राशि बैंक के पास **24 अक्टूबर, 2023 को 5 बजे अप.** तक जमा करनी होगी जिसके विवरण निम्नलिखित हैं :

कर्जदार(रों)/जमानती(यों) के नाम	माँग सूचना की तिथि तथा मांग सूचना के अनुसार बकाया राशि	अचल सम्पत्तियों का विवरण	आरक्षित मूल्य	जमा धरोहर राशि
1. श्री सुखपाल सिंह (कर्जदार), पुत्र रिछपाल सिंह राणा, मकान नंबर 293, गली नंबर 7, गांव सदरपुर कॉलोनी, शिव मंदिर के पास, सेक्टर – 45, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर –20130 यूपी 201301, 2. श्री राहुल राणा (सह–कर्जदार), पुत्र रिछपाल सिंह राणा, मकान नंबर 293, गली नंबर 7, गांव सदरपुर कॉलोनी, शिव मंदिर के पास, सेक्टर –45, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर यूपी 201301, 3. परमानंद यादव (गारंटर) पुत्र रामनिवास यादव, निवासी गांव ऊंचा अमीरपुर, विद्युत नगर, एनटीपीसी के पास और आईटीआई स्कूल, गौतमबुद्धनगर यूपी 201301, 4. प्रभाकर सिंह (गारंटर) पुत्र सुरेंद्र सिंह, निवासी मकान नंबर 39,40 महिउद्दीनपुर, कनावनी, नोएडा, तहसील – दादरी, जिला गौतम बुद्ध नगर, (पुस्ता रोड शिव मंदिर के पास), 5. कांति देवी (गारंटर/बंधककर्ता) पत्नी सुखपाल सिंह राणा, मकान नंबर 293, गली नंबर 7, गांव सदरपुर कॉलोनी, शिव मंदिर के पास, सेक्टर–45, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर–20130 यूपी 201301 **ऋण खाता सं. (101641003003)**	27–02–2023 **रु. 24,34,000/– (रुपये चौबीस लाख चौंतीस हजार मात्र)**	अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त भागः आवासीय संपत्ति माप क्षेत्रफल 50 वर्ग गज यानी 41.8 वर्ग मीटर, ग्राम खसरा संख्या–30, ग्राम–उंचा अमीरपुर, जिला–गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश–201304 बही क्रमांक 1, जिल्द संख्या 8960, पृष्ठ संख्या–1 से 16 तक, क्रमांक 23239, दिनांक 18.12.2015 के राजस्व अभिलेखों में दर्ज, कांति देवी पत्नी सुखपाल सिंह के नाम पर।	**रु.** 1,50,000/– **(रुपये एक लाख पचास हजार मात्र)**	**(ज.ध.रा.) आरक्षित मूल्य का** 10% **यानि रु.** 15,000/– **(रुपये पन्द्रह हजार मात्र)**

अचल सम्पत्तियों के निरीक्षण की तिथि : 21 अक्टूबर, 2023, 1100 बजे 1500 बजे

नीलामी की तिथि तथा संविदा खुलने की तिथि : 24 अक्टूबर, 2023 को 1100 बजे से 1400 बजे

प्रस्ताव/ज.ध.रा. जमा करने की अन्तिम तिथि : 23 अक्टूबर, 2023 को 5.00 बजे अपराह्न तक

बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए कृपया शिवालिक स्माल फाइनेंस बैंक, प्रतिभूत लेनदार की वेबसाइट https://shivalikbank.com/auctlon_of_bank_properties.php में प्रावधानित लिंक देखें।

बिक्री के महत्त्वपूर्ण नियम एवं शर्तें :

(1) सम्पत्ति की बिक्री **''जहां है जैसे है, जो कुछ भी है वहीं तथा आश्रयरहित आधार''** पर बिना किसी वारंटी तथा इंडेम्निटी के की जा रही है।
(2) सम्पत्ति/दस्तावेजों का निरीक्षण बैंक के अधिकृत प्राधिकारी के साथ उपर्युक्त तिथि एवं समय पर किया जा सकता है।
(3) विक्रय के सभी सामान्य नियम एवं शर्तों सहित संविदा दस्तावेज/प्रपत्र ऊपर उल्लिखित बैंक के शाखा कार्यालय से कार्यालयी अवधि के दौरान किसी भी कार्यदिवस में अधिकृत प्राधिकारी से प्राप्त किया जा सकता है। इच्छुक संविदाकारों को अपनी मुहरबन्द संविदाएँ निर्धारित संविदा प्रारूप में बैंक के अधिकृत प्राधिकारी के पास भेजनी हैं।
(4) संविदा मुहरबन्द लिफाफे में जिस पर नीलामी सम्पत्ति हेतु संविदा उल्लिखित करते हुए तथा इसके साथ **''शिवालिक स्माल फाइनेंस बैंक लिमिटेड''** के पक्ष में आहरित नोएडा में देय डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में ज.ध.रा. (जो संविदा राशि का 10% होगा) बैंक के उपर्युक्त शाखा कार्यालय पर **23 अक्टूबर, 2023 को 5.00 बजे अप.** तक जमा करनी है। जो संविदाएँ भरी नहीं गयी हैं अथवा अन्तिम तिथि के पश्चात प्राप्त होती हैं उन्हें अवैध संविदा माना जायेगा और तदनुसार उसे निरस्त कर दिया जायेगा। प्रदत्त ज.ध.रा. पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। संविदाकार द्वारा एक बार संविदा जमा करने के उपरान्त इसे वापस नहीं लिया जा सकेगा।
(5) मुहरबन्द संविदाएँ **24 अक्टूबर, 2023 को 11.00 बजे**–14.00 बजे तक बैंक के उपर्युक्त शाखा कार्यालय पर उस समय उपस्थित संविदाकारों की उपस्थिति में खोली जायेंगी और इसके पश्चात पात्र संविदाकारों को अधिकृत प्राधिकारी के विशेषाधिकार पर प्रस्ताव मूल्य बढ़ाने के लिए पारस्परिक संविदा में भाग लेने का अवसर दिया जायेगा।
(6) जमा किया जाने वाला संविदा मूल्य आरक्षित मूल्य से अधिक होगा तथा संविदाकार रु. 50,000/- के गुणक में अपने प्रस्ताव बढ़ा सकेंगे। सम्पत्ति अधिकृत प्राधिकारी द्वारा निर्धारित आरक्षित मूल्य से कम पर नहीं बेची जायेगी।
(7) सफल संविदाकारों को विक्रय मूल्य का 25% (ज.ध.रा. शामिल) तुरन्त या अधिकतम अगले कार्यकारी दिवस तक शिवालिक स्माल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के पक्ष में आहरित, नोएडा में देय डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में जमा करना होगा और सफल संविदाकार द्वारा विक्रय मूल्य की शेष राशि कम्पनी द्वारा विक्रय सुनिश्चित होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर जमा करनी होगी। इच्छुक संविदाकारों द्वारा प्रदत्त ज.ध.रा. तथा विक्रय मूल्य पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। यदि सफल संविदाकार विक्रय की शर्तों का अनुपालन करने में असफल होता है या कोई चूक करता है तो ज.ध.रा. अथवा 25% की जमा, जैसा मामला हो, बैंक द्वारा जब्त कर ली जायेगी।
(8) बैंक प्रस्तावित सम्पत्ति के परिप्रेक्ष्य में किसी प्राधिकरण अथवा किसी अन्य प्रचलित कानून से किसी अनुमति/अनापत्ति प्रमाणपत्र प्रापण करने अथवा बकाया पानी/बिजली की देयताओं, सम्पत्ति कर अथवा अन्य प्रभारों, यदि कोई हो, जैसे अन्य बकायों के लिए कोई उत्तरदायित्व नहीं लेता है।
(9) सफल संविदाकार किसी विकास प्राधिकरण के लम्बित बकायों, यदि कोई हो/नगर निगम अथवा किसी अन्य प्राधिकरण/एजेन्सी के करों/यूटिलिटी बिलों तथा 'विक्रय प्रमाणपत्र' के पंजीकरण हेतु स्टाम्प शुल्क/पंजीकरण शुल्क आदि के लिए देय शुल्क सहित समस्त व्ययों का वहन करेगा।
(10) अधिकृत प्राधिकारी को कोई या सभी प्रस्ताव/संविदाएँ स्वीकार करने या निरस्त करने अथवा बिना कोई कारण बताए विक्रय को आस्थगित करने/निरस्त करने या बिना किसी पूर्व सूचना के विक्रय की शर्तों में परिवर्तन करने का अधिकार एवं विशेषाधिकार है।
(11) एक बार लगाई गयी बोली को निरस्त या वापस नहीं किया जा सकता है।
(12) अपने पूर्ण ज्ञान एवं सूचना के आधार पर बैंक को छोड़कर विक्रय की जा रही सम्पत्ति पर किसी प्रकार के ऋणभार की बैंक को जानकारी नहीं है। इच्छुक पक्षों को अपनी स्वयं की सन्तुष्टि के लिए सम्पत्ति का अपना निजी आकलन कर लेना चाहिए। बैंक उपर्युक्त सम्पत्ति की उपयुक्तता/स्वामित्व के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार से कोई गारंटी नहीं लेता है या कोई प्रतिनिधान नहीं करता है। किसी अन्य सूचना के लिए अधिकृत प्राधिकारी उपर्युक्त सम्पत्ति के परिप्रेक्ष्य में किसी प्रभार, ग्रहणाधिकार, ऋणभार, सम्पत्ति कर या सरकारी अथवा किसी अन्य निकाय के किसी अन्य बकाया के लिए उत्तरदायी नहीं होगी। एतद्वारा कर्जदार(रों)/बंधककर्ता(ओं)/जमानती(यों) को विक्रय के समय व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने की सूचना दी जाती है और वे विक्रय के नियम एवं शर्तों के विवरण के अनुसार ऊपर वर्णित अचल सम्पत्ति की खरीद हेतु इच्छुक क्रेता/खरीददार ला सकते हैं।
(13) अचल सम्पत्ति का विक्रय उच्चतम बोलीदाता को किया जायेगा। किन्तु यदि अधोहस्ताक्षरी को आवश्यक प्रतीत हो तो उन्हें पारस्परिक बोली की अनुमति देने का निरपेक्ष विशेषाधिकार है।
(14) बैंक सम्पत्ति के किसी ऐसे दायित्वों के लिए उत्तरदायी नहीं है जो कर्जदाता कम्पनी के संज्ञान में नहीं है।
(15) कर्जदार(रों)/बंधककर्ता(ओं)/जमानती(यों) को एतद्वारा पूर्ण रूप से बकाया अदा करने के लिए तथा इस सूचना की तिथि से पन्द्रह दिनों के भीतर अद्यतन ब्याज एवं व्ययों सहित बकाये का भुगतान करने के लिए सरफैसी अधिनियम के नियम 6(2), 8(6) तथा 9(1) के तहत 30 दिवसीय वैधानिक सूचना दी जाती है जिसमें असफल होने पर प्रतिभूत आस्ति का विक्रय उपर्युक्त नियम एवं शर्तों के अनुसार किया जायेगा। यदि विक्रय सूचना के अंग्रेजी तथा मातृभाषा के समाचार–पत्रों में प्रकाशन के बीच कोई असंगति पायी जाती है तो ऐसी स्थिति में अंग्रेजी समाचार पत्र को मातृभाषा के समाचार पत्र की तुलना में वरीयता दी जायेगी और इसे अन्तिम प्रति माना जायेगा इस प्रकार कोई अस्पष्टता दूर हो जायेगी। यदि कर्जदार/जमानती/बंधककर्ता विक्रय की तिथि से पूर्व कम्पनी के सम्पूर्ण बकाये का भुगतान कर देता है तो नीलामी रोक दी जायेगी। किन्तु ऐसे मामलों में सूचना में बकाया राशि पर ऋण दस्तावेजों के अनुसार यथाप्रयोज्य भावी ब्याज वसूल किया जायेगा तथा इस वसूली तक आकस्मिक व्यय, लागतें आदि बकाया तथा देय होंगी।
(16) अधिकृत प्राधिकारी का निर्णय अन्तिम, बाध्यकारी और प्रश्नचिह्न रहित है। यह माना जायेगा कि संविदा जमा करने वाले सभी संविदाकार ने बिक्री के नियम एवं शर्तों को पढ़ और समझ लिया है तथा उसे बँधा हुआ है।
(17) अधिक विवरण के लिए संभावित संविदाकार श्री देवेश– संपर्क नं. 7607976595 से सम्पर्क कर सकते हैं।

1. कृपया ध्यान दें कि प्रतिभूत ऋणदाता, बैंक सभी कर्जदारों/सह–कर्जदारों/गारंटरों/बंधककर्ताओं को उनके पते पर ढडरळ द्वारा बिक्री नोटिस जारी करने जा रहा है। यदि किसी भी पक्ष को यह प्राप्त नहीं हुआ है, तो बिक्री नोटिस के इस प्रकाशन को सेवा का प्रतिस्थापित तरीका माना जाए।
2. कर्जदार/सह–कर्जदारों/जमानतियों/बंधककर्ताओं को एतद्वारा यह भी सूचित किया जाता है कि वे इस सूचना के प्रकाशन के 15 दिनों के भीतर अपनी घरेलू वस्तुएँ, यदि कोई हो, जो उपर्युक्त परिसर में/बैंक के संरक्षण में है, पूर्व अनुमति लेकर निकाल लें, जिसमें असफल रहने पर इस विषय में बैंक का कोई दायित्व/उत्तरदायित्व नहीं होगा और इसे कर्जदार/सह–कर्जदारों/जमानतियों/बंधककर्ताओं के जोखिम पर निस्तारित कर दिया जायेगा और बकायों के प्रति बिक्री कार्यवाही में समायोजित कर दिया जायेगा।
3. यदि किसी भी कारण से नीलामी असफल हो जाती है तो कम्पनी सरफैसी अधिनियम, 2002 के तहत मैंडेटेड प्रावधानों के अनुसार निजी सन्धि के माध्यम से उपर्युक्त बंधक सम्पत्ति/यों को बेचने के लिए स्वतन्त्र होगी।

तिथि : 21.09.2023,
स्थान : नोएडा

ह./– प्राधिकृत अधिकारी
शिवालिक स्माल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

www.readwhere.co